

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 37 / 2024

रजिस्ट्रेशन नं०:- 2024 / 185

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों
(सायल)

बनाम

गिरधरगोपाल उम्र 40 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी करनाहेडा जिला बारों
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी

(सायल)

2- स्वयं उपस्थित

(गैरसायल)

निर्णय दिनांक 31.12.2024

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल गिरधरगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी करनाहेडा जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों में वर्ष 2018 से 2024 तक कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त प्रकरणों में से 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उक्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।



इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 27.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। प्रकरण में गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों में वर्ष 2018 से 2024 तक कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त प्रकरणों में से 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कहा गया कि मेरे विरुद्ध पुलिस थाना सदर जिला बारों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 03 प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरणों में से 02 प्रकरणों में न्यायालय से निर्णय भी पारित हो गये हैं। इसके पश्चात मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।

प्रकरण में अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों में वर्ष 2018 से 2024 तक कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त प्रकरणों में से 02 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि गिरधरगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी करनाहेडा जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल गिरधरगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी करनाहेडा जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, सदर बारों जिला बारों से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल गिरधरगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी करनाहेडा जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र सदर बारों जिला बारों से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अटरू जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 16.01.2025 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू, जिला बारों को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सदर बारों जिला बारों क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू, जिला बारों के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारों